भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2482

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में व्यवधान

†2482. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन रुक गया है जिससे लगभग 3,800 कुशल संविदा कर्मचारियों (इंजीनियरों, समन्वयकों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों सहित) की आजीविका अचानक खतरे में पड़ गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आवश्यक कार्यकर्ताओं के अनुबंधों के नवीनीकरण के लिए आवश्यक समयबद्ध केंद्रीय निर्देशों, दिशानिर्देशों या वित्तीय स्वीकृतियों को जारी न करने के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संकट को तत्काल हल करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ताकि यू-डीआईएसई+ डेटा प्रबंधन, मुफ्त पाठ्यपुस्तक और वर्दी वितरण तथा विद्यालय से वंचित बच्चों का पता लगाने जैसे महत्वपूर्ण जमीनी स्तर के शैक्षिक संचालन गंभीर रूप से प्रभावित न हों?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अनुबंध या नियमित आधार पर समग्र शिक्षा के शिक्षकों/कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तें, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम और विनियम, संवर्ग, पारिश्रमिक और अन्य लाभ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। समग्र शिक्षा, योजना के तहत कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केवल एकमुश्त (सकेकित) सहायता प्रदान करती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा को वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित कर रहा है। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के निर्माण के साथ, समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों

और संघ राज्य क्षेत्रों का सहयोग करने के लिए पुनर्गठित किया गया और वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया। व्यय विभाग ने 30 सितंबर, 2026 या 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए या योजना की स्वीकृति की तारीख तक जो भी पहले हो, सैद्धांतिक विस्तार की मंजूरी दे दी है। इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया और उन्हें तदनुसार अपनी वार्षिक योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

समग्र शिक्षा के तहत, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) अपनी बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) को अनुमोदन देता है, जिसमें स्कूलों के नए निर्माण और कक्षाओं की मरम्मत जैसे विभिन्न मध्यवर्तन शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुमोदित एडब्ल्यूपी एंड बी के अनुसार विभिन्न मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ आवंटित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार उनकी प्राथमिकता के आधार पर निधियों का व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के दायरे में आता है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार, विभिन्न मंचों के माध्यम से, जिसमें परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकें, समीक्षा बैठकें और प्राबंध पोर्टल शामिल हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और आकलन करती है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत विभिन्न मध्यवर्तनों को कार्यान्वित करने की सलाह देती है।
